

बैंक जमा के संबंध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 'जेडए' और बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम, 1985 के नियम 2(5) और 2(6) के अंतर्गत निरसन और रूपांतरण.

मैं/हम(नाम और पता)

एतद द्वारा (जमा राशि का विवरण दे) के संबंध में.....

..... (नाम और पता) के पक्ष में किया गया नामांकन रद्द करता/करती हूँ/करते हैं और एतद द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को नामांकित करता/करती हूँ/करते हैं जिन्हें मेरी/हमारी/अवयस्क की मृत्यु होने की स्थिति में उपर्युक्त जमा राशि वापस की जा सकती है.

+चूंकि इस तिथि को नामांकित व्यक्ति अवयस्क है, अतः मैं/हम श्री/श्रीमती/कुमारी

(नाम और पता) और आयु).....

को नामांकित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान मेरी/हमारी/अवयस्क की मृत्यु की स्थिति में नामांकित व्यक्ति की ओर से जमा राशि प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं.

स्थान: *जमाकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान

दिनांक:

गवाह (गवाहों) का/के नाम, हस्ताक्षर और पता (पते) @

*जहाँ किसी अवयस्क के नाम पर जमा किया जाता है, नामांकन के निरसन/रूपांतरण पर अवयस्क की ओर से कानूनी रूप से कार्य करने के अधिकारी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए.

+ अगर नामांकित व्यक्ति अवयस्क नहीं है तो इसे काट दिया जाना चाहिए.

@ अंगूठे का निशान दो गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाएगा.

\$ अगर रूपांतर की आवश्यकता नहीं है तो संबंधित भाग को काट दें.